प्रेस नोट, जालौन पुलिस

दिनांक – 01.12.2024

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में कृषि अधिकारी /एसओजी/सर्विलांस टीम व कोतवाली उरई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 1001 अवैध खाद बोरी व खाद निर्माण सामग्री को गोदाम से बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जालौन को लगातार नकली खाद (DAP) बनाने की सूचना प्राप्त हो रही थी जिसके क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा उक्त प्राप्त सूचना पर कार्यवाही हेतु कृषि अधिकारी, एसओजी/सर्विलांस टीम व कोतवाली उरई पुलिस की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। दिनांक 30.11.2024 को गठित टीम द्वारा कोंच रोड पर सैकेर्ड हर्ट सेन्टेनरी एकेडमी स्कूल के सामने बने गोदाम से 224 बोरी, ट्रक से 616 बोरी, दो पिकअप से 57 बोरी, नदीगांव में निखिल अग्रवाल के बने गोदाम से कुल 104 बोरी (**कुल 1001 बोरी)** बरामद की गई एवं एक बोरी सिलने की मशीन(पैकिंग मशीन) मय धागा, प्रकाश व्यवस्था**,** पैकिंग मशीन चलाने के लिये माइक्रोटेक का इनवर्टर, एक्साइड बैटरी सहित पाया गया। नकली डीएपी बनाने में प्रयोग किये रासायन की खाली बोरियाँ काफी मात्रा में पायी गयी व एक पैकिंग मशीन धागे सहित पाया गया इसके अतिरिक्त HURUL का अपना पावर 20 कि0ग्रा0 के 10 बैग, मैट्रिक्स का माइक्रो न्यूट्रेन्स 05 क्रि0ग्रा0 के तीन बैग, दयाल/रामबाण का जाईम 55 डिब्बा आदि बरामद कर 10 अभियुक्तगण को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त विशाल राजपूत उर्फ गोलू राजपूत पुत्र स्व0 प्रमोद राजपूत हाल नि0 मो0 गांधीनगर उरई थाना कोत0 उरई जनपद जालौन **व** निखिल अग्रवाल पुत्र हरीमोहन अग्रवाल निवासी नई बस्ती मुखिया कालौनी थाना कोंच जनपद जालौन मौके से फरार हो गये हैं। अभियुक्त विशाल राजपूत व निखिल अग्रवाल उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया है शीघ्र ही अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 799/2024 धारा-111/341(2)/318(4) बीएनएस व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. आदित्य राठौर पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी कटरा मोहल्ला नदीगांव थाना नदीगांव जनपद जालौन
2. गोविन्द तिवारी पुत्र शेषनारायण तिवारी नि0 चन्द्र कुँआ पटेलनगर कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन
3. धर्मेन्द्र कुशवाहा पुत्र गोविन्द सिंह निवासी मंडी गेट कस्बा व थाना कोंच जनपद जालौन
4. अनुराग याज्ञिक पुत्र स्व0 अंजनी कुमार याज्ञिक निवासी नया पाठकपुरा कोत0 उरई जनपद जालौन
5. विकास चतुर्वेदी पुत्र सुरेश कुमार चतुर्वेदी निवासी नया पटेलनगर कोंच थाना कोंच जनपद जालौन

6. रविन्द्र कुमार पुत्र मुन्ना लाल नि0 मो0 इन्द्रानगर थाना कोत0 उरई जनपद जालौन
7. आकाश राजपूत पुत्र मुन्ना राजपूत निवासी बडी बघौली थाना डकोर जनपद जालौन
8. जुल्फिकार पुत्र जुबेर निवासी बेहड़ी तहसील चरथावल थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर
9. शिवम अग्रवाल पुत्र पुरूषोत्तम अग्रवाल निवासी मैन बाजार नदीगांव थाना नदीगांव जिला जालौन
10. मनीष खटीक पुत्र लाखन सिंह निवासी मोहल्ला कटरा कस्बा व थाना नदीगांव जनपद जालौन

बरामदगी का विवरणः-

1. दो अदद पिकअप
2. एक अदद ट्रक
3. मैट्रिक्स का माइक्रो न्यूट्रेन्स 05 क्रि0ग्रा0
4. तीन बैग , दयाल/रामबाण का जाईम 55 डिब्बा
5. HURUL का अपना पावर 20 कि0ग्रा0 के 10 बैग
6. 1001 अदद बोरी में नकली खाद
7. एक अदद माइक्रोटेक का इनवर्टर
8. एक अदद एक्साइड बैटरी

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. श्री गौरव यादव जिला कृषि अधिकारी जनपद जालौन
2. पुष्कर दीक्षित प्रा0 साह0 ग्रुप ए ,
3. गिरेन्द्र शर्मा ग्रुप बी व लोकेश दीक्षित को
4. एसओजी/सर्विलांस मय टीम
5. कोतवाली उरई मय पुलिस टीम